कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जौनपुर।

पत्र संख्या– 2018/41649/जेएनआर/जौनपुर/280 दिनांकः मार्च 16 2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषयः– आवेदक श्री कमलेन्द्र कुमार सरोज पुत्र श्री केशवदास सरोज ग्राम–बहोरिकपुर, मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर द्वारा अराजी नं0–2638 ग्राम–मथिया भीखपुर, थाना–मुँगराबादशाहपुर (मुँगराबादशाहपुर–इलाहाबाद रोड) तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, उ0प्र0, पर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भः– आपका पृ0 स0: 1270(2)/श0लि0– जौनपुर दिनांकः 05–03–2018

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आवेदक श्री कमलेन्द्र कुमार सरोज पुत्र श्री केशवदास सरोज ग्राम–बहोरिकपुर, मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर द्वारा अराजी नं0–2638 ग्राम–मथिया भीखपुर, थाना–मुँगराबादशाहपुर (मुँगराबादशाहपुर–इलाहाबाद रोड) तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, उ0प्र0, पर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण तथा स्थल का अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया। स्थल तक अग्निशमन वाहन पहुँच कर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं। रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु निम्न व्यवस्थाएं एवं सुझाव वांछनीय है–

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था एवं सुझावः–

1– बफर स्ट्रीप पेट्रोलियम एक्ट के मानक के अनुसार बनाया जाय।
2– स्थल पर कैनोपी का निर्माण मानक के अनुरूप किया जाय।
3– अन्य सभी शर्ते मानचित्र में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अंकित टिप्पणी नोट क्र0सं0 1 से 25 का अनुपालन किया जाय, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेसर्स/प्रबन्धन की होगी।
4– पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स 2010 के प्रपत्र 14 में उल्लेखित तथा पेट्रोलियम एक्ट के चैप्टर 4 के नियम संख्या 117 के अनुसार व्यवस्थापन सम्बन्धी शर्तो एवं सुझावों का अक्षरशः पालन किया जाय।
5– आईएस 2190–1992 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स की व्यवस्था निम्न संख्या में की जाय।

ए– ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा –	08 अदद
बी– स्थल पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 लीटर–	01 अदद
सी– सी0ओ0टू0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा –	01 अदद
डी– फायर बकेट (सैन्ड)–	06 अदद
ई– फायर बकेट (वाटर)–	06 अदद
एफ– ब्लैकेट 1.20मी0 चौड़ा व 1.50मी0 लम्बा–	02 अदद
जी– प्रश्नगत स्थल पर पानी का अण्डर ग्राउण्ड टैंक क्षमता 10000ली0	01 अदद
एच– धूम्रपान निषेध का बोर्ड –	02 अदद

C. F. O.

राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105 / Varanasi-221105

6-- फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452--269992, मो0नं0--9454418612, आपात नम्बर--101, पुलिस कन्ट्रोल रूम नं0--100 का बोर्ड-- 02 अदद

अतः आवेदक को इस शर्त पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

संलग्नक: मानचित्र।

18/3/18

(आर0पी0राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।

प्रतिलिपि: 1. आवेदक कमलेन्द्र कुमार सरोज पुत्र श्री केशवदास सरोज ग्राम--बहोरिकपुर, मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी, अग्निशमन केन्द्र, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/04/18
राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल विक्री प्रबंधक
Chief Divisional Sales Manager
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105 /Varanasi-221105